

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), अल्मोड़ा।
दीवानी वाद संख्या-04 / 2026
चन्दन सिंह रावत बनाम सुरेन्द्र सिंह रावत व अन्य

18.05.2026

दिनांक 18.05.2026 को पारित आदेश में टंकण त्रुटि होने के कारण कार्यालय में संज्ञान में यह आया कि— निर्णय के पेज संख्या 01 के प्रथम पैरा में भारती स्टेट बैंक जालली में के बाद त्रुटिवश पंजाब नेशनल बैंक शाखा माल रोड अल्मोड़ा अंकित हो गया। जिसे काटा जाता है। निर्णय के अन्तिम पेज के प्रथम पैरा में बीस लाख उन्पचास हजार, पाँच सैंतीस और प्रार्थी के नाम के स्थान पर राजेन्द्र सिंह अधिकारी त्रुटिवश अंकित हो गया है। जिसे सुधार पर बीस लाख उन्पचास हजार, पाँच सौ सैंतीस एवं राजेन्द्र सिंह अधिकारी के स्थान पर चन्दन सिंह रावत अंकित कर सुधार किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(आफिया मतीन)
सिविल जज (सी0डि0), अल्मोड़ा।